लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र / Fourteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
...ated
On 1-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 14, गुरुवार 7 अगस्त, 1975/16 श्रावण, 1897 (शक)

Thursday, August 7, 1975/Sravana 16, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	1—3
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	4
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
180 वां प्रतिवेदन	Hundred and eightieth Report . . .	4
रेल अभिसमय समिति—	Railway Convention Committee—	
10 वां प्रतिवेदन	Tenth Report	4
संविधान (40 वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Fortieth Amendment) Bill .	5—21
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	5—7 14—16
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	7—8
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy	8—9
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh	9
श्री अरविंद बाल पजनौर	Shri Aravinda Bala Pajanor . . .	9—10
श्री मोहन धारिया	Shri Mohan Dharia	10—11
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	11—13
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait . . .	13—14
खंड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1	17—21
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	21

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अक्किनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूच्चिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्ताशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपूर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिवेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोंदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाम्रोकाई हाम्रीकिप, श्री (ब्राह्मम नीपुर)
पाटिल, श्री आन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिक लाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० व० (खरगांन)
बरूआ, श्री बेदव्र (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वंशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुवनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सुरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, डा० रानेन (बारसाट)

सेन, श्री राबिन (आसनसोल)

सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)

सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)

सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)

सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)

सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)

सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)

स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)

स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)

स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)

स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)

स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(ह)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)

हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)

हरि सिंह, श्री (खुर्जा)

हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)

हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)

हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)

हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

हुडा, श्री नुरुल (कछार)

होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री .	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	महिषी डा० सरोजिनी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एल० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ़० एस० मोहसिन

1273 LS—2

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक–सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 7 अगस्त, 1975 / 16 श्रावण, 1897 (शक)

Thursday, August 7, 1975/Sravana 16, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रख गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मोटर गाड़ियों आदि संबंधी विकास परिषद् का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : उद्योग (विकास तथा विनिमयन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मोटर गाड़ियों, मोटरगाड़ी सहायक उद्योगों, परिवहन गाड़ी उद्योगों, ट्रैक्टरों, मिट्टी हटाने के उपकरणों तथा इंटरनल कम्बस्चन इंजनों सम्बन्धी विकास परिषद् के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 9929/75]

दादरा और नगर हवेली (निर्यात) और धान (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) आदेश

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत गुजरात तथा दादरा और नगर हवेली चावल (निर्यात) और धान (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 24 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 425 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी ।(देखिये संख्या एल० टी० 9930/75]

शुल्क उद्ग्रहण (सीमा शुल्क दस्तावेज) संशोधन विनियम

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत शुल्क उद्ग्रहण (सीमा-शुल्क दस्तावेज) संशोधन विनियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 2 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 409 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 9931/75]

मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें तथा दो विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) दिल्ली मोटर गाड़ी (पहला संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 21 मार्च, 1975 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3 (11)/73-टी पी टी/4181 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) दिल्ली मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 29 मार्च, 1975 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ई० सी० ई० 3 (45)/74-टी पी टी/4369 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 9932/75]

"आपतकालीन स्थिति क्यों"

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं "आपतकालीन स्थिति क्यों" नामक प्रकाशन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 9933/75]

उर्वरक (लाने–ले–जाने पर निमंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 28 जलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां0 आ0 392 प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल0 टी0 9934/75]

मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं पांचवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 18	दसवां सत्र, 1974
(दो) विवरण संख्या 11	ग्यारहवां सत्र, 1974
(तीन) विवरण संख्या 10	बाहरवां सत्र, 1974
(चार) विवरण संख्या 10	तेहरवां सत्र, 1975

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल0 टी0 9935/75]

दिल्ली नगरीय कला आयोग (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं दिल्ली नगरीय कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली नगरीय कला आयोग (सेवा की शर्तें) संशोधन नियम 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 26 जुलाई 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0 सां0 नि0 925 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल0 टी0 9936/76']

प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा0 सां0 नि० 421 (ङ) (अंग्रेजी संस्करण) और सा0 सां0 नि0 422 (ङ) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 22 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें प्रशिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल0 टी0 9937/75]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) "कि राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है—"कि राज्य सभा 6 अगस्त, 1975 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 अगस्त 1975 को पास किये गये निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।"

(दो) "कि राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है —कि राज्य सभा 6 अगस्त, 1975 की अपनी बठक में लोक सभा द्वारा 5 अगस्त, 1975 को पास किये गये भारतीय सिक्का—निर्माण (संशोधन) विधेयक, 1975 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।"

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

180वाँ प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मैं वर्ष 1973–74 के लिये विनियोग लेखे (सिविल), (रक्षा सेवाएं) तथा (डाक और तार) में प्रकट किये गये स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अतिरिक्त व्यय के बारे में लोक लेखा समिति का 180धां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

रेल अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

दसवाँ प्रतिवेदन

श्री बी० एस० मूर्ति (अमलापुरम): मैं रेल अभिसमय समिति के छठे प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कायवाही के बारे में समिति का 10 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

संविधान (40 वाँ संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (FOURTIETH AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि —"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ" :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

श्री मोहन धारिया (पूना): अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मामला है। सर्व प्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री का पद विशेष महत्व रखता है और यदि यह सभा कोई तंत्र या सांविधिक निकाय की स्थापना करती है, तो मैं उस का समर्थन करता हूं ।

जहां तक संसद् की प्रभुसता का सम्बन्ध है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि इस विधेयक में इतनी जल्दबाजी क्या है । यह एक अतिमहत्वपूर्ण विधेयक है और इसके द्वारा संविधान का संशोधन किया जाना है । कम से कम संविधान का संशोधन करने वाले विधेयकों के मामले में तो निदेश 19ख का निलम्बन नहीं किया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विधेयक को बहुत जल्दी पास करना अतिआवश्यक है । क्या यह इसलिए आवश्यक है कि 11 अगस्त को उच्चत्तम न्यायालय में प्रधान मंत्री के मामले की सुनाई आरम्भ होनी है और इस लिये इसे उस से पहले कि न्यायालय में सुनवाई आरम्भ हो आज लोक सभा द्वारा पास किया जायेगा, कल राज्य सभा द्वारा तथा तदुपरान्त 50 प्रतिशत से अधिक विधान सभाओं द्वारा अनुसमर्थित किया जायेगा ताकि उच्चत्तम न्यायालय में सुनवाई आरम्भ होने से पहले ही प्रधान मंत्री का मामला व्यपगत हो जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक चुनाव विधि से सम्बन्धित है, जिसे हम पहले ही पास कर चुके हैं। कल वह राज्य सभा के समक्ष था। यह कारण है कि इस के बारे में पहले नोटिस नहीं दिया जा सका, क्योंकि उस विधेयक के राज्य सभा द्वारा पास किये जाने से पहले नोटिस नहीं दिया जा सकता था। इस कारण को देखते हुए अनुमति प्रदान की जाती है । प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों सम्बन्धी मामले से सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेद 71 में दो बातों की व्यवस्था है अर्थात् (1) उन के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा किया जायेगा और (2) कि उन के चुनाव से सम्बन्धित मामले एक संसदीय कानून द्वारा नियमित किये जायेंगे । संसद ने इस विषय पर कानून अधिनियमित किये हैं । समय आ गया है जब कि हमें पुर्नविचार करना है कि क्या उन के चुनाव सम्बन्धी मामलों का निर्णय करने वाले न्यायाधिकरण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

सदस्यों को ज्ञात है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि के दौरान अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी बात के लिए कानूनी अदालत के समक्ष उत्तरदायी नहीं होता । अतः यह उपयुक्त है कि उन के चुनाव से सम्बन्धित मामलों को न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की सीमा से बाहर रखा जाये । तदनुसार, विधेयक में इस आशय का उपबंध किया गया है कि उन के चुनाव से सम्बन्धित मामलों का निर्णय संसदीय कानून द्वारा स्थापित प्राधिकरण या निकाय द्वारा किया जाना चाहिये । उन के चुनाव सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिए उच्चत्तम न्यायालय की बजाय किसी अन्य न्यायाधिकरण की स्थापना करने हेतु उपबंध करने के लिये इस आशय का एक खंड अन्तः स्थापित किया गया है कि नये न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाले किसी कानून या उस न्यायाधिकरणज द्वारा दिये गये निर्णय की वैधता को किसी भी कानूनी अदालत में चुनौती नहीं दी जायेगी ।

प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष के पद भी इन से भिन्न नहीं हैं । इस समय प्रधान मंत्री या अध्यक्ष के पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति का संसद की किसी भी सभा के लिए चुनाव की वैधता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 के उपबंधों के अन्तर्गत निर्धारित होती है। इस अधिनियम की धारा 80 क में यह उपबंध है कि उच्च न्यायालय किसी चुनाव याचिका की सुनवाई कर सकता है । संविधान को संशोधित करने के प्रस्ताव का उद्देश्य यह उपबन्ध करना है कि प्रधान मंत्री या अध्यक्ष के पद पर किसी भी व्यक्ति के संसद की किसी भी सभा के लिए चुनाव को संसदीय कानून द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण या निकाय के सिवाय कोई और निकायि चुनौती नहीं दे सकता । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री या अध्यक्ष का पद संभाले हुए व्यक्ति के संसद के लिये हुए चुनाव से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिये नये प्रस्तावित अनुच्छेद 329 क में एक विशेष उपबंध किया गया है । यहां भी हमने उपबंध किया है कि नये न्यायाधिकरण की स्थापना करते वाले कानून और उस के अन्तर्गत गठित किसी प्राधिकरण या निकाय के निर्णय की वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

कुछ केन्द्रीय तथा राज्य नियमों को नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने, उन्हें अनुच्छेद 31ख का संरक्षण प्रदान करने और उन की वैधता के बारे में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता को दूर करने के लिये अवसर निकाला जा रहा है । हमें इस बात का अनुभव है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में महत्वपूर्ण विधानों को ठीक ढंग से नहीं निपटाया गया । यह आवश्यक है कि इन कानूनों को अनुच्छेद 31ख का संरक्षण प्रदान किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है । दुर्भाग्य से यह बहुत ही जल्दबाजी में पेश किया जा रहा है । बेहतर यह होता यदि सभा को इस पर विचार करने के लिए कुछ अधिक अवसर मिलता ।

विधेयक कई दृष्टिकोण से असंगत नहीं लगता किन्तु इसे समुचित ढंग से विचार करने के पश्चात् पेश किया जा सकता था। यदि हम इस विधेयक को इसी रूप में स्वीकार कर लें तो इस से वर्तमान की तुलना में अधिक असंगतियां उत्पन्न हो जायेंगी । इस संशोधन के द्वारा हम प्रधान मंत्री के चुनाव के बारे में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर उच्चतम न्यायालय को विचार करने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। आम धारणा यह है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस समय निलंबित मामला निष्फल हो जायेगा । यहां प्रधान मंत्री को चुनने का हमारा एक विशेष तरीका है। इस प्रक्रिया में कई चरण आते हैं। यह प्रस्तावित संशोधन किस चरण पर लागू होगा ? यह विधेयक में स्पष्ट नहीं है ।

हमारा संविधान बहुत विस्तृत है और यह 40वां संशोधन है । हमने संविधान में एक, दो या तीन बार ही नहीं अपितु कई बार मूलभूत और मौलिक बातों का संशोधन किया है। अब ऐसी स्थिति आ गई है जब कि समुचित संविधान पर विचार करने की आवश्यकता है । इस तरह एक-एक संशोधन करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

हमने अपने लिए समाजवाद का लक्ष्य निश्चित किया है । किन्तु इन सब संशोधनों के बाद भी यह संविधान समाजवाद की स्थापना के लिए एक पूर्ण साधन सिद्ध नहीं हुआ । न ही संविधान द्वारा संरक्षित प्रशासनिक प्रणाली इस उद्देश्य की प्राप्ति करने में सफल हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार को हमारी अर्थ व्यवस्था तथा प्रशासनिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तनों पर विचार करना चाहिये। वास्तव में सरकार को संविधान के ढांचे में ही बुनियादी परिवर्तन करने पर विचार करना चाहिये।

यदि इस समय सरकार के लिए औपचारिक रूप से संविधान में समग्र रूप से पुनर्विचार करना सम्भव नहीं है तो कम से कम विधि मंत्री को यह घोषणा कर देनी चाहिये कि सरकार इसकी जांच करेगी ताकि हम संविधान में बार-बार संशोधन करने से बच जायें।

उच्चतम न्यायालय में निलम्बित मामले में प्रधान मंत्री का चुनाव अन्तर्ग्रस्त नहीं है । यह मामला तो श्रीमती इंदिरा गांधी का रायबरेली से लोक सभा के लिये निर्वाचित

[श्री भोगेन्द्र झा]

होने के बारे में है । यदि उच्चतम न्यायालय राय बरेली से हुए चुनाव के मामले को एक तरफ भी रख दे तो श्रीमती इंदिरा गांधी 6 महीनों के लिये कानूनी तौर पर प्रधान मंत्री बनी रह सकती हैं। केवल शर्त यह है कि उन में सभा का विश्वास होना चाहिये। इस विधेयक के उपबंधों से यदि किसी प्रकार की शंका हो तो उसका समाधान नहीं होता है ।

इस सम्बन्ध में विशेष तंत्र का निर्माण नितांत आवश्यक है। सभा को और सरकार को यह सोचना होगा कि क्या वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति को भी उसी श्रेणी के अन्तर्गत रखा जा सकता है। प्रधान मंत्री बहुत शक्तिशाली हैं और वास्तव में देश का कार्यकारी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही है। संविधान ने ही प्रधान मंत्री को विशेष श्रेणी में रखा है । राष्ट्रपति को तो प्रधानमंत्री द्वारा लिये गये निर्णयों पर अपनी मोहर लगानी होती है। इस प्रकार श्री जवाहरलाल जी के शब्दों में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप 20 मिनट तक बोल चुके हैं। अगर कोई और वक्ता नहीं है तो इस का यह अर्थ नहीं कि एक ही सदस्य बोलता जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस विषय पर चर्चा के लिये कितना समय नियत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई समय नियत नहीं किया गया। मुझे सभा की कार्यवाही को चलाना होता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर) : आप सभा और देश की मर्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन बहुमत वाला दल सभा की मर्यादा का उल्लंघन करता रहता है। यहां विनम्रता, मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता।

श्री भोगेन्द्र झा : हमारे राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष को एक ही श्रेणी में न रखा जाये वरना भ्रान्ति पैदा हो जायेगी ।

जहां तक नौवीं सूची के संशोधन का सम्बन्ध है, सरकार को अवश्य पता होगा कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने पंजाब तथा हरियाणा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियमों को अमान्य घोषित कर दिया है। उन अधिनियमों को इस में शामिल क्यों नहीं किया गया। इसी तरह बिहार और महाराष्ट्र के कुछ अधिनियम भी इसमें सम्मिलित नहीं किये गये। पंजाब तथा हरियाणा में इस कारण बहुत असंतोष है। अतः इस विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। यह विधेयक शीघ्रता में तैयार किया गया है।

श्री पी० आर० शिनाय (उडिपी) : अन्य उपबंधों के अतिरिक्त इस विधेयक द्वारा उन 38 अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण दिया जा रहा है जो नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किये गये हैं। अन्य अधिनियमों की बात तो ठीक है लेकिन आंसूका अधिनियम के शामिल किये जाने पर मुझे घोर आपत्ति है ।

आंसुका तो आपात स्थिति से पहले ही संरक्षित है। आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति आपात स्थिति में गिरफ्तारी के बारे में चुनौती नहीं दे सकता। किन्तु यदि इस अधिनियम को भी शामिल कर लिया जाता है तो आपात स्थिति समाप्त होने के बाद भी आंसुका के अन्तर्गत राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के बारे में चुनौती नहीं दे सकेगा। अतः आंसुका सम्बन्धी उपबंध का मैं विरोध करता हूं।

Prof. Sher Singh (Jhajjar): So far as the motive behind this Bill is concerned, there cannot be two opinions about it. The offices of President, Vice-President, Speaker and Prime Minister are the highest occupied by the high dignitories of the country. But I have objections to the offices of Deputy Speaker and Deputy Chairman being included in this list. Otherwise this special list will become too long and its importance will be finished. So I support this Bill upto this point. In fact this Bill should have been brought earlier.

I think clauses 4 and 5 are unnecessary.

Many acts have been included in the 9th Schedule. That is correct. All the amendments to the Peoples' Representation Act, 1951 also find a place in this Schedule. In case this Act is amended again, the amending bill will also have to be brought before the House. I think there was no need for its inclusion in the Schedule when a separate authority is going to be constituted for these high offices. So in my opinion item 87 should be deleted.

With these two suggestions, I support this Bill.

श्री अरविन्द बाला पंजनौर (पांडिचेरी) : अध्यक्ष महोदय मैं निर्धारित समय के भीतर ही विधेयक की गुण-दोष पर चर्चा करूंगा। मेरे मित्र ने अभी कुछ पदों को नौवीं अनुसूची में शामिल किये जाने पर आपत्ति की है। हम प्रायः ब्रिटेन की संसद को आदर्श मान कर चलते हैं। हमें यह पता है कि ब्रिटेन में यदि एक बार कोई अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लेता है तो फिर उसका विरोध नहीं किया जाता। वहां पर चुनाव याचिका के माध्यम से अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देने के लिये निर्वाचन विधि भी नहीं है। इसी प्रकार यहां भी अध्यक्ष के पद को राष्ट्रपति के पद के समकक्ष बनाया जाये तो कोई गलत बात न होगी। प्रधान मंत्री का पद शामिल किये जाने के बारे में भी लोगों को मिथ्या भ्रम है। यदि आप इसमें उपाध्यक्ष और सभापति को भी जोड़ना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि मेरा नाम भी उसमें जोड़ा जाए। पर वह ठीक नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात है समय। हमें इस समय विद्यमान परिस्थितियों को सामने रख कर इस पर विचार करना चाहिए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि संसद् सर्वोच्च है और प्रधान मंत्री का वहां बहुमत है वे बहुमत को व्यक्त करती हैं। अतः प्रधान मंत्री की स्थिति सबसे ऊपर है।

गत 27 वर्षों में हम कतिपय रुकावटों के कारण ही उन्नति नहीं कर सके। अतः उन रुकावटों को हटाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर आपात स्थिति की घोषणा की गई है। यह एक सर्व विदित तथ्य है कि हमारा संविधान सर्वगुण सम्पन्न नहीं है अतः उसमें बहुत कुछ संशोधन किए जाने हैं। परन्तु वे सब एक दिन में नहीं हो सकते। अतः आवश्यक संशोधन इस समय किए जा रहे हैं।

[श्री अरविंद बाला पजनोर]

मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के गुण-दोषों में नहीं जाना चाहता हू परन्तु इतना सर्व-विदित है कि वह राजनीतिक निर्णय विधि सम्मत नहीं। फिर यदि प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के चुनाव पर उंगली उठाई जाती है तो उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय या कोई और न्यायालय न करके हम स्वयं करें।

इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालय में न ले जाए जाने का उपबन्ध किया गया है। परन्तु इसके साथ ही कोई अन्य विधानों को भी इसके अन्तर्गत नौंवी अनुसूची में जोड़ा गया है। मेरे विचार से इससे कई जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। इतने अधिक विधानों को उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक और भूमि सम्बन्धी कानूनों को ही इसमें शामिल किया जाता तो उचित रहता। मात्र उन्हें 9 वीं अनुसूची में शामिल करने से कुछ नहीं होता, मुख्य बात तो उन्हें भली प्रकार लागू करना है।

श्री मोहन धारिया : नौवीं अनुसूची में 40 से भी अधिक विधानों को शामिल किया जा रहा है। उन सबको बिना समझे उनके शामिल किए जाने का समर्थन कम से कम मैं नहीं कर सकता और इतने कम समय में उन सबको देख जाना बढ़ा कठिन था।

मैं इस सुझाव से सहमत नहीं कि संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाई जानी चाहिए। अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत ऐसी स्थिति में यह सभा संविधान सभा के रूप में काम करती है तथा कुछ सीमा तक राज्य विधान सभाएं भी उसका अंग होती हैं।

सत्ताधारी दल ने समाजवादी समाज की बात को 1964 में मान लिया था और मैं समझता था कि माननीय विधि मंत्री इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक पेश करेंगे, संविधान में परिवर्तन करने के लिए। परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमें संविधान के ढांचे में मूल भूत परिवर्तन करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। मैं इस बात को भी मानता हू कि संसद सर्वोच्च है। इन सब बातों की दृष्टि से मैं पूछता हू कि क्या सरकार संविधान में परिवर्तन करने के लिए व्यापक कार्यक्रम पेश करेगी? परन्तु खेद है ऐसा कोई आभास अभी तक नहीं मिला है। इस प्रकार के एक दो संशोधन पेश करने से काम नहीं चलेगा।

उपराष्ट्रपति का चुनाव लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है अत: उसको चुनौती देने का प्रश्न ही नहीं उठता और यदि इसे विधेयक में शामिल किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के पद का प्रश्न है यह प्रमुख पद हैं और इन पदों की प्रतिष्ठा तथा गरिमा बनाए रखने के लिए किस प्रकार का तंत्र या सांविधिक प्राधिकरण बनाया जाएगा, इसके संबंध में विधि मंत्री ने कुछ नहीं बताया है। विधेयक से भी कुछ स्पष्ट नहीं। मैं यह महसूस करता हूं कि देश में इस प्रकार के एक प्राधिकरण अथवा निकाय बनाने की अत्यंत आवश्यकता है और मैं इसके लिए पूरा समर्थन देता हूं। परन्तु मुझे खण्ड 4 के उपखण्ड (4) और (5) पर आपत्ति है इन दो खण्डों के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय ले लिया है और उच्चतम न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन पड़ा है तो उसको गैर-कानूनी अथवा अवैध समझा जाएगा, इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता।

मैं एक निकाय बनाने के उद्देश्य को समझता हूं। परन्तु यह बहुत पहले बनाया जाना चाहिए था तब ऐसा करना बिल्कुल ठीक होता। परन्तु अब जबकि एक व्यक्ति विशेष के मामले में उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है और यदि सरकार संविधान में इस हेतु संशोधन करना चाहती है तो मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं हमेशा सिद्धान्तों के बारे में बोलता हूं इसलिए मैं अपने सहयोगियों से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या संविधान में इस प्रकार के संशोधन करना उचित है। जब हम संविधान में संशोधन करने के बारे में सोच ही रहे हैं तो हमें निष्पक्ष हो कर इस बारे में विचार करना चाहिए।

देश में हो रहे नये परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी कुछ और परिवर्तनों की आवश्यकता है उदाहरण के लिए निर्वाचन कानून तथा शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है तभी देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति हो सकती है। सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए। यदि संविधान के ढांचे में और इसके मूलभूत सिद्धातों में परिवर्तन करना आवश्यक है तो इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए जो इस सभा के सभी पक्षों तथा समूचे देश को मान्य हो। उसे उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा उसे देश और जनता के हित में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यही समय का तकाजा है। इसी प्रकार हम आम जनता की सेवा कर सकते हैं तथा इस संसद की प्रतिष्ठा व गरिमा को बनाए रख सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : अध्यक्ष महोदय यह कहा जा रहा है कि सदन आज स्थगित हो रहा है। सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगा अथवा एक विशेष तिथि के लिए इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं प्रसन्न हूं कि सदन स्थगित हो रहा है। विधि मंत्री को भी कुछ आराम की आवश्यकता है अन्यथा जिस ढंग से वह संविधान में बार बार संशोधन कर रहे हैं उससे बड़ी भ्रान्ति हो सकती है अतः उन्हें सदन के इस पक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों पर विचार करने का समय दिया जाए तो बेहतर रहेगा।

विधि मंत्री को इस संबंध में उठने वाले सभी प्रमुख प्रश्नों के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए क्योंकि सदन आज स्थगित हो रहा है न तो हमारे पास चर्चा का समय है न हम इस संबंध में कुछ संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रस्तावित नए अनुच्छेद 329क (4) को देखते हुए यह समझना कठिन है कि दो दिन पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की क्या आवश्यकता थी क्योंकि अनुच्छेद 329क (4) से यह पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी याचिका, जो विचारधीन है अथवा जिसके बारे में निर्णय दिया जा चुका है स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप यह स्पष्ट कीजिए कि यह सभा सदस्यों के लिए है क्योंकि कई सदस्य सुबह से सेंट्रल हाल में इस पर चर्चा कर रहे है यह सच है। कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के पद अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं फिर भी यह संदेहस्पद है कि क्या इस उद्देश्य के लिए कानून की दृष्टि में उनको एक स्तर पर रखा जा सकता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद दल के पद नहीं हैं। अध्यक्ष का पद पूर्णतया भिन्न है क्योंकि वह पीठासीन अधिकारी होता है और दलगत राजनीति से ऊपर होता है। परन्तु प्रधान मंत्री दोनों सभाओं में से एक सभा का सदस्य निर्वाचित होने तथा तत्पश्चात् दल अर्थात् बहुमत दल का नेता निर्वाचित होने पर ही प्रधान मंत्री बनता है। इसलिए जब निर्वाचन विवादो आदि का निर्णय करने के लिए न्यायालय के स्थान पर नए प्राधिकरण अथवा

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

निकाय बनाने का प्रश्न सामने आता है तो प्रधान मंत्री के मामले में उस प्राधिकरण अथवा निकाय के स्वरूप एवं प्रक्रिया का यहां उल्लिखित अन्य पदों के समान होना आवश्यक नही है।

कुछ सदस्यों ने मुझ से पूछा है कि क्या अब किसी के लिए न्यायालय में जाकर यह कहना संभव होगा कि प्रधान मंत्री के पद को जो संरक्षण दिया गया है वह अन्य सदस्यों के साथभेद भाव है क्योंकि प्रधान मंत्री पहले दोनों सभाओं में से किसी सभा का सदस्य निर्वाचित होता है। यदि कोई व्यक्ति भेद भाव के आधार पर मामला उठाता है तो क्या होगा। क्योंकि आरंभ में तो चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। यह किसी व्यक्ति के प्रधान मंत्री के रूप में चुने जाने का प्रश्न नहीं है परन्तु मूलतः उसके किसी भी सभा के सदस्य निर्वाचित होने का प्रश्न है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा हैं कि प्रस्तावित नए 329क अनुच्छेद सबको संरक्षण देता है। परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता।

जहां तक प्रस्तावित नए प्राधिकरण अथवा निकाय के गठन का संबंध है उसके गठन अथवा स्थापना में अधिक विलम्ब नहीं किया जा सकता। इसे कुछ ही दिनों में स्थापित करना परन्तु इस निकाय के स्वरूप इसकी कार्य पद्धति आदि को कम से कम उन दलों के विचार विमर्श के बिना जो सरकार का समर्थन कर रहेहैं, विशेषतया इस आपातकालीन स्थिति में, अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए आप लोगों को हमारा सहयोग चाहिए अथवा नहीं आप पहले इस बारे में निर्णय कर ले। मैं जानता हूं कुछ लोग हमारा सहयोग नहीं लेना चाहते पर हम उनकी राय को बहुमत की राय नहीं मानते। इस संबंध में निर्णय लेना सतारुढ़ दल का काम है अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्राधिकरण अथवा निकाय को अंतिम रूप देने में जल्दबाजी से काम न लें और उसकी स्थापना उचित विचार विमर्श उपरान्त का जाए।

आज हमारे समक्ष संविधान संशोधन विधेयक रखा गया है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण विधेयक है और इससे कई आधारभूत मामले उठते हैं लेकिन आपने इस पर किसी किस्म की सलाह लेने अथवा चर्चा कराने की कोई आवश्यकता नहीं समझी है। मैंने इन संशोधनों के संबंध में एक प्रश्न विशिष्ट रूप से पूछा था कि क्या यह संशोधन केवल आपातकालीन स्थिति तक रहेंगे अथवा कि इन्हें स्थायी तौर पर सांविधिक ग्रन्थ का अंग बना दिया जाएगा। ग्रह मंत्री ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि आपने सही कहा है अतः यह स्पष्ट है कि ये केवल आपातकालीन स्थिति तक ही प्रभावी रहेंगे।

आप अंतरिक्ष सुरक्षा कानून और इसके सभी संशोधनों को नौवीं सूत्री में स्थायी तौर पर रख रहेहैं चाहे देश में आपातकालीन स्थिति रहे या न रहे। आपने कुछ दिन पहले सदन में जो आश्वासन दिया था उसका क्या हुआ। यह एक गंभीर मामला है। अतः इसे सहज रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि आप हमारे दल के साथ उसी प्रकार व्यवहार करते रहे तो वास्तविक और सार्थक सहयोग पैदा करने में कठिनाईयां होंगी। मैं इस सम्बन्ध में अपने मित्रों को चेतावनी देना चाहता हूं।

आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद संसद का यह पहला अधिवेशन था। हमने सामान्य प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके प्रश्नोत्तर काल समाप्त करने आदि के लिये सत्तारुढ़ दल को अपना पूरा पूरा सहयोग दिया। मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इसे भविष्य में लागू नहीं किया जायेगा। लेकिन सत्तारुढ़ दल वाले लोग अब यह समझने लग गये हैं कि यह प्रक्रिया बहुत अच्छी है तथा भविष्य में भी जारी रहनी चाहिये। लेकिन हमारा दल इसी शर्त पर सहमत हुआ था कि इस प्रक्रिया को केवल इसी सत्र में लागू किया जायेगा। संसद का कार्यकरण प्रश्नोत्तर काल को समाप्त करने तथा मंत्री को

उत्तर देने से मुक्त करने से सुचारू नहीं हो सकता। हम इसके लिए दूसरे सत्र के लिये सहमत हुये थे। इसे स्थायी प्रक्रिया नहीं बनाया जाना चाहिये।

इस संसद की कार्यवाही पर जिस ढंग से सेंसरशिप सम्बन्धी नियम लागू किये जा रहे हैं, वह प्रजातंत्र के लिये घातक है। श्री जगजीवन राम ने नजरबंद और गिरफतार लोगों के बारे अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा था कि वे सब बिलकुल ठीक तथा स्वस्थ हैं। लेकिन इस वाक्य को सेंसर अधिकारियों ने काट लिया। यदि यह वक्तव्य अखबारों में प्रकाशित हो जाता तो देश भर में फैली इस प्रकार की अफवाहें दूर हो जाती कि ये ये व्यक्ति जेल में मर रहे हैं तथा ये ये लोग जेल में भूख हड़ताल पर हैं।

प्रधान मंत्री के भाषण भी सेंसर हो रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? क्या राजनैतिक हथियार के रूप में सेंसरशिप लागू करने का यह कोई तरीका है?

श्री एच० एन० मुखर्जी : इस बात का उत्तर आज शाम तक आ जाना चाहिये (**व्यवधान**)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सेंसरशिप एक राजनैतिक हथियार है जिसका उपयोग प्रजातंत्र की ताकतों को मजबूत करने तथा सत्ता हथियाने वाली प्रतिक्रियावादी ताकतों पर प्रहार करने के लिये किया जाना चाहिये। क्या इसका उपयोग इस प्रकार हो रहा है? मैं तो कहूंगा कि इसके उपयोग से तो हमारे शत्रुओं के ही हाथ मजबूत हो रहे हैं।

लोक सभा की कार्यवाहियों की जिस ढंग से सेंसरशिप हो रही है, उससे लोगों के बीच यही धारणा पदा हो रही है कि मंत्री नित्यप्रति भाषण दे रहे हैं तथा बिना वादविवाद के बिल पास हो रहे हैं। हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये जिससे विदेशी समाचार पत्रों को हमारे उपर कीचड़ उछालने का अवसर मिले। 'लंदन इकानिमिस्ट', 'टाईम्ज़', 'न्यूज़वीक', 'न्यूर्याक टाइम्ज़' आदि आदि समाचार पत्र हमारे विरुद्ध कीचड़ उछाल रहे हैं।

सेंसर अधिकारियों ने आदेश जारी किये हैं कि विरोधी दल के किसी भी सदस्य के भाषण प्रकाशित न किये जायें। लेकिन उन सदस्यों के भाषण भी तो प्रकाशित नहीं किये जाते जो विरोधी दलों से सम्बन्ध नहीं रखते। यह एक राजनैतिक हथियार है। अतः सारी सेंसर प्रणाली की पूरी पूरी छानबीन की जानी चाहिये और यह पता लगाया जाना चाहिये कि जनसंघ के कौन कौन से एजेन्ट ऐसा काम कर रहे हैं।

मैंने एक बार पहले भी सुझाव दिया था कि सेंसर के लिये एक सलाहकार समिति बनाये जानी चाहिये। लेकिन इन बातों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। ये बातें भविष्य में नहीं होनी चाहिये। यदि आप हमारा सहयोग चाहते हैं तो हम से स्वतंत्र दलों जैसा व्यवहार किया जाये। मुझे आशा है कि भविष्य में इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : मेरे दल, सी० पी० आई० तथा ए० डी० एम० के० आदि दलों ने आपातकालीन स्थिति का समर्थन किया है। यदि प्रधान मंत्री यह कदम न उठाती तो दक्षिण-पंथी प्रतिक्रियावादी देश को अराजकता की ओर धकेल देते। लेकिन हमें दुख है कि हमें विश्वास में लिये बिना ही इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयकों को सभा के सामने लाया जा रहा है। अब दक्षिणपंथी प्रति-क्रियावादी दल हमारे बीच नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य दलों को भी विश्वास में

[श्री इब्राहीम सुलेमान सेट]

न लिया जाये। यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। यह संविधान का 40वां संशोधन है। इसका अर्थ यह है कि हम संविधान का स्वरूप ही बदलने जा रहे हैं। इस विधेयक में उपाध्याक्ष महोदय को शामिल नहीं किया गया। उपाध्यक्ष का चुनाव भी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं किया गया।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा अन्य प्रतिक्रियावादी तत्वों को दबा दिया गया है। हम चाहते हैं कि ऐसे तत्वों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। ऐसे विधेयक विचार विमर्ष के बाद लाये जाने चाहिए। आज देश संकट में है अतएव हम सरकार के साथ हैं ताकि प्रतिक्रियावादी तत्वों से देश की रक्षा की जा सके।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : आम तौर पर यह सभी की राय है कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, अध्यक्ष और प्रधान मंत्री के पद अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अन्य पदों से भिन्न मानना होगा। इसी राय को प्रभावी बनानेहेतु यह विधेयक लाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 71 के अधीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाये जाते हैं।

किन्तु यह एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चुनावों की वैधता का निर्णय न्यायालय करें जबकि ये व्यक्ति जनता के भारी बहुमत से चुने जाते हैं।

यह हास्यास्पद बात है कि प्रधान मंत्री के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाये जिसमें न्यायिक छानबीन हो और वह और भी अधिक हास्यास्पद है कि यह थोथे आधारों पर किया जाये और प्रधान मंत्री का चुनाव रद्द किया जाये। इस प्रस्ताव पर भी सभी एकमत है कि यह कार्य इस प्रयोजनार्थ गठित एक उपयुक्त प्राधिकरण अथवा निकाय पर छोड़ दिया जाये।

यह सच है कि इस विधेयक में उस निकाय अथवा प्राधिकरण को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके दो कारण हैं एक बात तो विधेयक में स्पष्ट कर दी गई है कि यह एक न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण नहीं होगा। यह एक अन्य प्राधिकरण अथवा निकाय होगा। जो इन चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चुनाव सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिये उपयुक्त होगा। ऐसे दो अलग प्राधिकरण होने चाहिये; एक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिये तथा दूसरा प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय के लिये। कुछ देशों में ये विवाद न्यायालय के पास विचार के लिये नहीं भेजे जाते। किन्तु यह प्राधिकरण एक न्यायालय नहीं होगा किन्तु यह प्राधिकरण इन चार पदों की गरिमा और संसद की सार्वभौमिकता और सर्वोच्यता के अनुरूप ही होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि प्राधिकरण के कृत्यों को निर्धारित करने से पहले हमें इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए कि कौनसे आधार हैं जिनके कारण यह प्राधिकरण इन आरोपों पर विचार कर सकता है। इसलिये मैं निःसंकोक यह आश्वासन दे सकता हूं कि जब हम इस संबंध में ब्यौरा तैयार करेंगे तो सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से परामर्श करेंगे।

प्राधिकरण' में 'निकाय' शब्दों का यहां जानबूझ कर प्रायोग किया गया है क्योंकि प्राधिकरण एक कानूनी शब्द है जिसे एक न्यायालय अथवा अर्थ न्यायिक अधिकरण समझा जाता है जबकि ऐसा होना जरूरी नहीं है। इस प्राधिकरण का क्या स्वरूप होगा इसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा और इसमें कौम-कौन व्यक्ति होंगे आदि बातों पर संसद को इसी प्रायोजनार्थ लाये गये एक उचित विधान द्वारा सभी सहयोगी तथा सहायता देने वाले व्यक्तियों के साथ परामर्श करके निर्णय करना होगा।

यह कहा गया है कि इस विधेयक के खण्ड 21 के रहते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है यह कहना सही नहीं है कि इस विधेयक का खण्ड 4 सभी पर लागू होता हैं ।

इस उपबन्ध का अर्थ यह नहीं है कि अध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन नामांकन पत्र आदि भरने की आवश्यकता नहीं होगी । न ही इसके द्वारा अनुच्छेद 102 द्वारा निर्धारित अर्हताओं में कोई छूट दी गई है । इसके द्वारा संसद को अधिकार दिया गया हैं कि वह इनके चुनाव सम्बन्धी विवादों के निपटारे के लिये प्राधिकरण अथवा निकाय निर्धारित करे ।

यह बात सही नहीं है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भेदभाव पूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है । अतः भेदभाव सम्बन्धी कोई भी शंका निराधार है । हम सहयोग देने वाले व्यक्तियों से बात चीत करने के लिए तैयार हैं और मंभी को मान्य तरीका ढूंढने को तैयार है । लेकिन मैं यह नहीं मानता कि प्रधान मत्री और अध्यक्ष के मामले में विशिष्ट व्यवस्था करना भेदभाव पूर्ण है । जबकि दोनों को ही संसद के चुनावों में प्रत्याशियों के रूप में चुनाव लड़ने होंगे । मैं इसे कानूनी पहलू पर नहीं रख रहा हूं क्योंकि अनुच्छेद 14 के आधार पर तथा मौलिक आधिकारों के आधार पर भी यह भेदभाव पूर्ण नहीं है ? में सभी उचित उपबन्ध सदैव गैर-भेदभाव पूर्ण वर्गीकरण अन्तर्गत आते हैं । इस की नवम अनुसूची में व्यवस्था होने पर भी मैं नहीं समझता कि भेदभाव के आधार पर कोई भी प्रहार सफल हो सकता है ।

अनेक माननीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया है और मैं भी सामान्यतः इस दृष्टिकोण से सहमत हूं कि समय-समय पर तदर्थ आधार पर हमें संविधान में संशोधन नहीं करना चाहिए । लेकिन जब न्यायिक व्याख्या से सरकार में आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम में रूकावट पैदा हुई तो हमें ऐसा कई बार करना पड़ा है । इ सलिए अब समय आ गया है जब हमें सविधान के सम्पूर्ण मूलभूत ढांचे पर पुनविचार करना होगा । क्योंकि जिस समय यह संविधान बनाया गया था उस समय परिस्थिति भिन्न थी । सविधान,साधन मात्र हैं, साध्य नहीं हैं । और इसीलिए लोकतंत्र, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता इन सभी की सुदृढ़ करने की दृष्टि से हमें संविधान के उपबन्धो पर विचार करना होगा ।

'आंसुका' की संविधान की नवम अनुसूची में सम्मिलित करने का उल्लेख किया गया है । यह विचार भी ठीक नहीं है कि इस उपबन्ध को नवम अनुसूची में शामिल करने से इसे स्थायी बनाया जा रहा है क्योंकि यह अनुसूची किसी अधिनियम को उसकी संवैधानिक वैधता से तभी तक बचाती है जब तक कि उस अधिनियम का निरसन या संशोधन नहीं किया जाता है । इसलिए परिस्थिति पर कभी भी पुनर्विचार किया जा सकता है । आपातस्थिति के बाद भी उस पर विचार किया जा सकता है । कि 'आंसुका' के कतिपय उपबन्धों का संशोधन किया जाय जिससे अनुच्छेद 31क का क्रियान्वयन और उक्त उपबन्ध नाम अनुसूची के संरक्षण के बाहर लाये जा सकते हैं या नहीं । इसके निरसन या संशोधन का मामला उपयुक्त समय पर विचारणीय होगा । तकनीकी वैधानिक और संवैधानिक आधार पर इस अधिनियम को बुरा बताकर इसके उद्देश्य को प्रभाव हीन नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन सम्भावना यही है कि यह स्थिति अभी या कुछ समय बाद समाप्त हो जायगी, जब कि इन उपबन्धों की आवश्यकता नहीं रहेगी । तभी उन्हें बदला जा सकता है । नवम अनुसूची में शामिल किए जाने से वे इससे मुक्त नहीं समझे जायेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: लेकिन मौलिक अधिकार निलम्बित किए जाने से आंसुका तो पहले सुरक्षित हो गया है।

श्री एच० आर० गोखले : केवल आप ही संविधान के अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों के निलम्बन के बारे में सोच रहे हैं। हम यह नहीं चाहते हे लेकिन न्यायांग ने ऐसा किया है।

आज यह तर्क दिया जाता है कि यद्यपि हम अनुच्छेद 14 का निलम्बन भले ही कर दें लेकिन इस अनुच्छेद का उल्लधन करके हम कोई कानून पास नहीं कर सकते। मैं एसी किसी आपात-स्थिति की कल्पना नहीं करता जिसमें कि 'आंसुका' के पास करने का उद्देश्य ही विफल हो जाय। लेकिन ऐसी स्थिति में इस सभा की आंसुका का संशोधन करने तथा इसका निरसन करने तक का आधिकार प्राप्त है। इसे नवम अनुसूची में सम्मिलित कर देने से यह स्थायी कानून नहीं बनेगा।

अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। हमने कभी इनके अधिकारों का निलम्बन नहीं किया है। अतः यह शंका करने का कोई कारण नहीं है कि हम इन शक्तियों से अल्पसंख्यकों के अधिकार समाप्त कर देगें।

यह शंका भी व्यक्त की गई है कि इस अनुसूची में कुछ और अधिनियम भी सम्मिलित किये जा सकते हैं मैं ऐसी सम्भावना से इनकार नहीं करता हूं। इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके बारे में हमें यह देखना होगा कि यदि हम ऐसा करे तो वे न्यायालय में अवैध घोषित न किए जायें। अतः अन्य अधिनियमों को भी नवम अनुसूची में शामिल करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

समाचार पत्रों पर लगे सेंसर के बारे में मैं अपने माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त से पूर्णतया सहमत हूं कि लोकतंत्र को समाप्त करने वाली प्रतिक्रियावादी तथा अलोकतांत्रिक शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना ही चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है इसलिए मैं इस पर विचार सम्बन्धी प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री मोहन धारिया : मैं इसका विरोध करता हूं और सभा का त्याग कर रहा हूं।

तत्पश्चात् श्री मोहन धारिया सदन छोडकर चले गये

(Shri Mohan Dharia then left the House)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 335

Ayes

विपक्ष में शून्य

Noes

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पास किया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं है । मैं दोनों खण्डों को एक साथ ही प्रस्तुत करूंगा । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने ।"

***लोक सभा में मत विभाजन हुआ**

The Lok Sabha Divided.

पक्ष में 334

Ayes

विपक्ष में शून्य

Noes

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पास किया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

* मत विभाजन का परिणाम खण्ड 2 और 3 पर अलग-अलग लागू होता है ।

The result of the Division is applicable to each of the clauses 2 and 3 separately.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गये

Clause 2 and 3 were added to the Bill

खण्ड—4

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन धारिया और श्री शेर सिंह ने एक संशोधन का नोटिस दिया है। श्री मोहन धारिया ने मुझे एक पत्र द्वारा सूचित किया है कि वह अपना संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं। श्री शेर सिंह सभा में उपस्थित नहीं ह।

श्री एच० आर० गोखले द्वारा दो संशोधनों का नोटिस दिया गया है।

श्री एच० आर० गोखले : ये बहुत छोटे संशोधन हैं। इनमें संविधान संशोधन विधेयक की संख्या परिवर्तित करना है। क्योंकि जो संशोधन विधेयक पहले पुरःस्थापित किया जा चुका है यह संयुक्त समिति के पास भेजा गया है। अतः इस विधेयक की संख्या में परिवर्तन करना है।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 2, पंक्ति 47 :—

"चालीसवां" (**fortieth**) के स्थान पर "उन्तालीसवां" (**Thirtyninth**) प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 3, पंक्ति 14,—

"चालीसवां" (**fortieth**) के स्थान पर "उन्तालीसवां" (**Thirtyninth**) प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

(श्री एच० आर० गोखले)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहली बार एक संशोधन पास किया जा रहा है जो सदस्यों में प्रचारित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह इन्होंने पढ़ दिया था।

प्रश्न नहीं है :

"खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 333 विपक्ष में

Ayes Noes

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पास किया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, as amended was added to the bill.

खण्ड 5

श्री बी० आर० शुक्ल(बहराइच) : मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा ।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): The movers of amendment Nos 9 & 10 stood up when you called them?

Mr. Speaker: I may inform the hon. members that during division according to rules no speech could be made.

Shri Jambuwant Dhote: My submission is that when the members concerned stood to move his amendment some members sitting behind him forced him to sit down and not only that even the Parliamentary Affairs Minister himself went to him and asked him to sit down. This cannot be allowed. It is not justified in any way.

Mr. Speaker: The chief whip of the party can do that. The member concerned can make a complaint.

Shri Jambuwant Dhote: This cannot be allowed in the House. This expunged as ordered by the Chair.

अध्यक्ष पी० के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

(इसके बाद श्री जाम्बुवन्त धोटे और श्री राम हेडाऊ सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri Jambuwant Dhote and Shri Ram Hedaoo then left the House)

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) मैंने श्री बी० आर० शुक्ल को पकड़ कर नहीं बिठाया । मैं वहां किसी अन्य काय से जा रहा था और उनसे दूर था । वह पहले ही यह कह चुके थे कि मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं । दल के सचेतक के नाते मुझे किसी सदस्य के पास जाने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : मतदान के बीच भाषण नहीं हो सकता परन्तु वे बोलने ही चले गये । सचेतक का तो यह काम ही है कि वह अपने दल के सदस्यों को सचेत करे । मुझे सदस्य के कथन पर खेद है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में Ayes	333	विपक्ष में Noes	शून्य

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पास किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 1

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

'चालीसवां' (**Fortieth**) के स्थान पर "उन्तालीसवां" **"Thirty-ninth"** प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री एच० आर० गोखले)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

"कि अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक **में जोड़ दिए गये**

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पास किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	336:	विपक्ष में	शून्य
Ayes		Noes	

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पास किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

इसके पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine-die

GMGIPND—M—1287 L S J C 196?—200

PLS. 48. LIV. 14.75 (N)
200

© 1975 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

© 1975 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under rules 379 and 382 of the rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and Printed by the General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi.